

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.स.(नि.)डाल.-01/2007:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, यांत्रिक अवर प्रमण्डल सं.-1, ईचा चालियामा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा बरती गई अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता के कथित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 1683 दिनांक 29.05.2010 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा किए गए जाँच पर श्री पाण्डेय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि बताते हुए आपत्ति दर्ज की गयी जिसके फलस्वरूप उक्त मामले में श्री पाण्डेय के विरुद्ध पुनः विभागीय संकल्प संख्या ज्ञापांक 4519 दिनांक 31.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उक्त आरोपों से आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2086

/राँची, दिनांक:- 7-3-14

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-2, देवघर/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, चालियामा/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना, ईचा गालूडीह/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री राधेश्याम पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, C/O श्री पी.के. श्रीवास्तव, रामजानकी पथ, काली मंदिर के उत्तर, संजय गाँधी नगर, कंकड़बाग, पटना-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

5-3-14